

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-210/2017/1770/22-2-2016-17(186)/2006

लखनऊ: दिनांक: 20 मार्च, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा० राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदर्श कारागार/नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ की सिद्धदोष महिला बन्दी मुन्नी द्विवेदी (बन्दी संख्या-364/एन०बी०एन०) पत्नी श्री महेश चन्द्र द्विवेदी, निवासी ग्राम-बैना, थाना-राजपुर, जिला-कानपुर देहात, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-15/1994 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302/34, 201/34, 498ए के अधीन दिनांक 01-03-1996 को मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, द०प्र० क्षेत्र, ललितपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उक्तनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-210/2017/1770(1)/22-2-2016 तद्विनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्यें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2-जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।
- 3-पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
- 4-अधीक्षक, आदर्श कारागार/नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ।
- 5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।